

भारतीय लेखा मानक (इंड. ए. एस) 114

नियामक आस्थगन लेखा

(इस भारतीय लेखा मानक में शामिल अनुच्छेद **मोटे** टाइप व सामान्य टाइप में हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य *नियामक आस्थगन लेखा शेषों* के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं का निर्धारण करना है जो तब उत्पन्न होती है जब प्रतिष्ठान ग्राहकों को उस मूल्य या दर पर वस्तुएं अथवा सेवाएं प्रदान करता है जो *दर-विनियमन* के अधीन होता है।
2. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यह मानक निम्नलिखित अपेक्षाएं करता है:
 - (क) उन लेखा नीतियों में सीमित परिवर्तन करना जिन्हें पूर्ववर्ती सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (*पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी'*) के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिये लागू किया जाता था, जो मुख्यतया इन लेखों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित है; और
 - (ख) ऐसे प्रकटन जो:
 - (i) प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में उन मान्य राशियों की पहचान एवं व्याख्या करते हैं जो दर विनियमन से उत्पन्न होते हैं; तथा
 - (ii) किसी मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेषों से होने वाली भावी नकदी प्रवाहों की राशि, समय एवं अनिश्चितता को समझने के लिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं।
3. इस मानक की अपेक्षाएं प्रतिष्ठान को इसके पूर्ववर्ती के 'जी ए ए पी' के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए इसके अपने कार्य-क्षेत्र में लेखा

को जारी रखने की तब अनुमति देता है जब वह भारतीय लेखा मानकों को ऊपर अनुच्छेद 2 में उल्लिखित सीमित परिवर्तनों के अधीन अपनाता है।

4. इसके अतिरिक्त, यह मानक अन्य मानकों की अपेक्षाओं के लिये कुछ अपवादों का प्रावधान करता है या अन्य मानकों की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त करता है। रिपोर्ट करने वाले नियामक आस्थगन लेखा शेषों की विशिष्ट अपेक्षाएँ तथा अन्य मानकों की अपेक्षाओं के किसी अपवाद या उससे मिली छूट जो उन शेषों से संबंधित हैं, इस मानक के अंतर्गत समाविष्ट हैं न कि उन अन्य मानकों के अन्तर्गत समाविष्ट हैं।

कार्य क्षेत्र

5. एक प्रतिष्ठान को अपने प्रथम *भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों* में इस मानक की अपेक्षाओं को लागू करने की अनुमति दी जाती है, यदि और केवल यदि :

(क) वह *दर-विनियमित गतिविधियाँ* संचालित करता है; और

(ख) उसने उन राशियों को मान्यता दी है जो, इससे पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार इसके वित्तीय विवरणों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों के रूप में योग्य होते हैं।

6. एक प्रतिष्ठान, आगामी अवधियों के अपने वित्तीय विवरणों¹ में इस मानक की अपेक्षाओं को तब लागू करेगा यदि और केवल यदि उसने अपने प्रथम भारतीय लेखा मानकों में इस मानक की अपेक्षाओं का चयन करके नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता दी हो।

7. यह मानक उन प्रतिष्ठानों के जो कि दर-विनियमित गतिविधियों में शामिल है, उनके लेखों के अन्य उन पहलुओं पर चर्चा नहीं करता है। इस मानक की अपेक्षाओं को लागू करके, कोई भी राशियाँ, जिन्हें अन्य मानकों के अनुसार आस्तियों या दायित्वों के रूप में अनुमति

¹ एक प्रतिष्ठान जो कि दर-विनियमन के दायरे में इंड ए एस के आने के बाद अस्तित्व में आता है या वह प्रतिष्ठान जिनकी गतिविधियाँ अपने प्रथम भारतीय लेखा मानकों के अनुसार बने वित्तीय विवरणों के बाद उस दर-विनियमन के अधीन आती है, जो कि इंड ए एस में परिभाषित है, वे आगामी वित्तीय विवरणों के प्रबंधन व प्रस्तुतीकरण के लिए पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' की अपेक्षाओं को उन दर-विनियमन गतिविधियों पर प्रयोग करने के लिए अधिकारी होंगे।

प्राप्त हैं या मान्यता दिये जाने के लिये अपेक्षित हैं, उन्हें उन राशियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो नियामक आस्थागन लेखा शेषों के रूप में वर्गीकृत हैं।

8. एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है, और लागू करने के लिये इस मानक का चयन करता है, इसकी सभी अपेक्षाओं को सभी नियामक आस्थागन लेखा शेषों पर लागू करेगा जो प्रतिष्ठान के सभी दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं।

मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा आमन्यता

भारतीय लेखा मानक 8, 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां' के अनुच्छेद 11 से अस्थायी छूट

9. एक प्रतिष्ठान, जिसकी दर-विनियमित गतिविधियां हैं और जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है तथा इस मानक को लागू करने के लिये चयन करता है, तब वह नियामक आस्थागन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा आमन्यता के लिए अपनी लेखा नीतियों का विकास करते समय भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेदों 10 एवं 12 तब लागू करेगा।
10. भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 व 12 उन अपेक्षाओं के स्रोतों तथा मार्गदर्शन का उल्लेख करते हैं जिसकी प्रबंधन को किसी मद के लिए सशर्त लेखा नीति विकसित करने हेतु विचार किये जाने की आवश्यकता होती है या अनुमति प्राप्त होती है बशर्तें उस मद के लिए कोई संबंधित मानक विशिष्ट रूप से लागू नहीं होता है,। यह मानक प्रतिष्ठान को नियामक आस्थागन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं आमन्यता के लिए अपनी लेखा नीतियों पर भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 को लागू करने से छूट देता है। फलस्वरूप, जो प्रतिष्ठान नियामक आस्थागन लेखा शेषों को या तो पृथक मदों के रूप में या पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के अग्रणीत मूल्य के भाग के रूप में मान्यता देता है, उन्हें भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 से छूट प्राप्त द्वारा इस मानक के अनुसार उन शेषों को मान्यता देना जारी रखने के लिए अनुमति है बशर्तें वह इस मानक के अनुच्छेद 18-19 द्वारा अपेक्षित किन्हीं प्रस्तुतीकरण संबंधी परिवर्तनों के अधीन हो।

मौजूदा लेखा नीतियों को जारी रखना

11. इस मानक के आरंभिक प्रयोग करने पर, प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए उन परिवर्तनों को छोड़कर जो कि अनुच्छेद 13-15 तक अनुमत है, पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' लेखा नीतियों को लागू करना जारी रखेगा। तथापि, ऐसी राशियों के प्रस्तुतीकरण में इस मानक की प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा ये अपेक्षाएं प्रतिष्ठान के पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' प्रस्तुतीकरण नीतियों में परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकती हैं (देखें अनुच्छेद 18-19)।
12. प्रतिष्ठान आगामी अवधियों में अनुच्छेद 13-15 द्वारा अनुमत किन्ही परिवर्तनों को छोड़कर अनुच्छेद 11 के अनुसार स्थापित नीतियों को लगातार समान रूप से लागू करेगा।

लेखा नीतियों में परिवर्तन

13. प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देना प्रारंभ करने के लिए अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगा। नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन केवल तभी कर सकता है यदि वह परिवर्तन वित्तीय विवरणों को उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाता है और न कि कम विश्वसनीय बनाता है या फिर उन आवश्यकताओं को अधिक विश्वसनीय बनाता है और उनके लिए कम प्रासंगिक नहीं है। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 में दिए गए मानदण्ड का प्रयोग करते हुए उस प्रासंगिकता एवं विश्वसनीयता का निर्णय करेगा।
14. यह मानक प्रतिष्ठानों को लेखा नीति में परिवर्तनों के लिये भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 अथवा 14-15 को लागू करने की छूट नहीं देता है। नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए लेखा नीतियों में परिवर्तन करने को उचित ठहराने के लिए प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित करेगा कि यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 10 के मानदण्ड को पूरा करने के लिए इसके वित्तीय विवरणों को और अधिक निकट लाता है। तथापि, नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए यह जरूरी नहीं है कि परिवर्तन के लिए उन मानदण्डों का पूर्णतया: अनुपालन हो ।

15. इस मानक के आरंभिक प्रयोग के समय किये गए परिवर्तनों तथा आगामी रिपोर्टिंग अवधियों में किए गए परिवर्तनों, दोनों पर अनुच्छेद 13-14 लागू होते हैं।

अन्य मानकों के साथ अंतः किया

16. अन्य मानकों के साथ इस मानक की अंतः किया से संबंधित कोई विशिष्ट अपवाद, छूट अथवा अतिरिक्त अपेक्षा इस मानक के अंतर्गत अंतर्विष्ट हैं (देखें अनुच्छेद ख7-ख28)। ऐसे किसी अपवाद, छूट या अतिरिक्त अपेक्षाओं के अभाव में, नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर अन्य मानक में उसी तरीके से लागू करेंगे जैसा वे अन्य मानकों द्वारा मान्य आस्तियों, दायित्वों आय एवं व्यय के लिए लागू होते हैं।
17. कुछ परिस्थितियों में, किसी दूसरे मानक को नियामक आस्थगन लेखा शेष के लिए लागू किये जाने की आवश्यकता हो सकती है जिसे प्रतिष्ठान की उन लेखा नीतियों के अनुसार मापा गया हो, जो उस शेष को समुचित रूप से वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित करने के लिए अनुच्छेद 11-12 के अनुसार स्थापित की गयी हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान की विदेश में दर विनियमित गतिविधियाँ हो सकती हैं जिनके लिए लेन-देन तथा नियामक आस्थगन लेखा शेष को उस मुद्रा में मूल्यांकित किये जाते हैं जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा नहीं है। नियामक आस्थगन लेखा शेष तथा उन शेषों में परिवर्तन (उतार-चढ़ावों) को भारतीय लेखा मानक 21, *विदेशी विनियम दरों में परिवर्तनों के प्रभाव*, को लागू करके परिवर्तित किया जाता है।

प्रस्तुतिकरण

प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन

18. यह मानक नियामक आस्थगन लेखा शेषों के लिए, अनुच्छेद 20-26 में उल्लिखित प्रस्तुतिकरण अपेक्षाओं को अवगत करवाता है, जो अनुच्छेद 11-12 के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं। जब इस मानक को लागू किया जाता है, तब उन आस्तियों एवं दायित्वों के अतिरिक्त जो कि अन्य मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं, नियामक आस्थगन लेखा शेषों को तुलन-पत्र में मान्यता दी जाती है। ये प्रस्तुतिकरण अपेक्षाएँ अन्य मानकों की वित्तीय

रिपोर्ट देने की अपेक्षाओं से नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता के प्रभाव को पृथक करती है।

19. उन मदों के अतिरिक्त, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 1, 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण', के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करते समय सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा उन शेषों में परिवर्तनों को अनुच्छेद 20-26 के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

नियामक आस्थगन लेखा शेषों का वर्गीकरण

20. प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में निम्नलिखित के लिए पृथक रेखीय मदों को प्रस्तुत करेगा:
- (क) सभी नियामक आस्थगन लेखा के नामे शेषों के जोड़; तथा
- (ख) सभी नियामक आस्थगन लेखा के जमा शेषों के जोड़।
21. जब एक प्रतिष्ठान अपने तुलन-पत्र में चालू व गैर-चालू आस्तियों एवं चालू व गैर-चालू दायित्वों को पृथक वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करता है, तब यह नियामक आस्थगन लेखा शेषों के जोड़ को चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा। बल्कि, अनुच्छेद 20 द्वारा अपेक्षित पृथक रेखीय मदों को आस्तियों एवं दायित्वों से अलग करेगा जिन्हें अन्य मानकों के अनुसार उप-जोड़ों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों के प्रस्तुत किये जाने के पहले लिये जाते हैं।

नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तनों/उतार-चढ़ावों का वर्गीकरण

22. प्रतिष्ठान लाभ-हानि विवरण के अन्य व्यापक आय भाग में रिपोर्टिंग अवधि के लिये लाभ व हानि की सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को प्रस्तुत करेगा जो अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित होता है। पृथक रेखीय मदों को अन्य मानकों के अनुसार उन मदों से संबंधित शुद्ध परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, जिन्हें:

- (क) बाद में लाभ व हानि में पुन वर्गीकृत नहीं किया जाएगा; और

(ख) बाद में लाभ व हानि में तब पुन वर्गीकृत किया जाएगा जब विशिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं।

23. प्रतिष्ठान लाभ हानि विवरण के लाभ या हानि भाग में रिपोर्टिंग अवधि के लिये सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों में, लाभ या हानि में प्रदर्शित नहीं की गई अधिगृहीत राशियों के परिवर्तनों को छोड़कर शेष शुद्ध परिवर्तनों के लिए एक पृथक रेखीय मद प्रस्तुत करेगा। इस पृथक रेखीय मद को उस आय एवं व्ययों से अलग किया जाएगा जिसे उस उप-जोड का प्रयोग करके अन्य मानकों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें नियामक आस्थगन लेखा शेषों में शुद्ध परिवर्तन के पहले निकाला जाता है।
24. जब प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति अथवा आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देता है, तब प्रतिष्ठान परिणामी आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) तथा उस आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) में संबंधित परिवर्तन को आस्थगित कर आस्तियों (दायित्वों) तथा कर व्यय (आय) के लिए भारतीय लेखा मानक 12, 'आय कर', के अनुसार प्रस्तुत किये गए कुल जोड के अंतर्गत प्रस्तुत करने के बजाय उन शेषों में संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत करेगा (देखें अनुच्छेद ख 9-ख 12)।
25. जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 105 *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन*, के अनुसार बंद पड़े परिचालन निपटान समूह को प्रस्तुत करता है, तब प्रतिष्ठान उन संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा उन शेषों में परिवर्तनों, जैसा लागू हो को निपटान समूहों या बंद पड़े परिचालनों के अंदर के बजाय संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों तथा उन शेषों में शुद्ध परिवर्तन, के साथ प्रस्तुत करेगा। (देखें अनुच्छेद ख 19-ख 22)।
26. जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 33, *प्रति शेयर अर्जन* के अनुसार 'प्रति शेयर अर्जन' को प्रस्तुत करता है तब प्रतिष्ठान प्रति शेयर अतिरिक्त मूल तथा अवमिश्रित अर्जन को प्रस्तुत करेगा, जिनकी भारतीय लेखा मानक 33 द्वारा अपेक्षित अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए गणना की जाती हैं किंतु ऐसा नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तनों को छोड़कर किया जाता है (देखें अनुच्छेद ख13-ख14)।

उद्देश्य

27. एक प्रतिष्ठान जो इस मानक को लागू करने के लिए चयन करता है वह उस सूचना को प्रकट करेगा जो उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित के निर्धारण करने में सक्षम बनाता है:
- (क) दर विनियमन की प्रकृति तथा उससे संबंधित जोखिम, जो उस मूल्य (उन मूल्यों) को निर्धारित करता है जिसे प्रतिष्ठान वस्तुओं अथवा इसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए ग्राहकों से वसूल कर सकता है; तथा
- (ख) इसकी वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाहों पर उस दर विनियमन का प्रभाव।
28. यदि अनुच्छेद 30-36 में निरूपित प्रकटनों में से कोई प्रकटन अनुच्छेद 27 में दिये गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रासंगिक नहीं समझा जाता है तो उन्हें वित्तीय विवरणों से हटाया जा सकता है। यदि अनुच्छेद 30-36 के अनुसार दिये गए प्रकटन अनुच्छेद 27 में दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है, तो प्रतिष्ठान वह अतिरिक्त सूचना प्रकट करेगा जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
29. अनुच्छेद 27 में दिए गए प्रकटन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी बातों पर विचार करेगा:
- (क) ब्यौरे का स्तर जो प्रकटन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है;
- (ख) विभिन्न अपेक्षाओं में से प्रत्येक पर कितना बल दिया जाए;
- (ग) कितना एकत्रीकरण या गैर-एकत्रीकरण या पृथकीकरण किया जाए; तथा
- (घ) क्या वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रकटित मात्रात्मक सूचना का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है।

दर विनियमन के अधीन गतिविधियों का स्पष्टीकरण

30. प्रतिष्ठान की दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति तथा उससे संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की सहायता हेतु प्रतिष्ठान प्रत्येक प्रकार की दर विनियमित गतिविधि के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:

- (क) दर विनियमित गतिविधि की प्रकृति एवं सीमा का संक्षिप्त विवरण तथा नियामक दर तय करने की प्रक्रिया की प्रकृति;
- (ख) दर नियामक (नियामकों) की पहचान। यदि दर नियामक एक संबंधित पार्टी है (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 24, *संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन* में परिभाषित है), तो प्रतिष्ठान उस तथ्य को यह स्पष्टीकरण देते हुए प्रकट करेगा कि यह किस प्रकार से संबंधित है;
- (ग) नियामक आस्थागन लेखा नामे शेष की प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् प्रत्येक प्रकार की लागत अथवा आय) की भावी वसूली या नियामक आस्थागन लेखा जमा शेष की प्रत्येक श्रेणी का विपर्याय (उलटाव) जोखिमों और अनिश्चितता से कैसे प्रभावित होता है, उदाहरणार्थ:
 - (i) मांग जोखिम (उदाहरण के लिए, ग्राहक के रूख में परिवर्तन, आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता अथवा प्रतिस्पर्धा का स्तर);
 - (ii) नियामक जोखिम (उदाहरण के लिए, दर- तय करने के आवेदन का स्वीकरण या अनुमोदन अथवा प्रत्याशित भावी नियामक कार्रवाईयों के लिए प्रतिष्ठान का मूल्यांकन); तथा
 - (iii) अन्य जोखिमों (उदाहरण के लिए, मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम)।

31. अनुच्छेद 30 द्वारा अपेक्षित प्रकटनों को वित्तीय विवरणों में या तो प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियों में दिया जाएगा या वित्तीय विवरणों से किसी अन्य विवरण में प्रति-संदर्भ द्वारा शामिल किये जाएंगे, जैसेकि प्रबंधन टिप्पणी या जोखिम रिपोर्ट, जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों की उन्हीं शर्तों और उसी समय पर उपलब्ध है। यदि यह सूचना वित्तीय विवरणों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं की गई है या प्रति-संदर्भ द्वारा शामिल नहीं की गई है तो वित्तीय विवरण अपूर्ण माने जाएंगे।

मान्यता प्राप्त राशियों का स्पष्टीकरण

32. प्रतिष्ठान उस आधार को प्रकट करेगा जिस आधार पर नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता दी गई है तथा अमान्य किये गये हैं, तथा उन्हें प्रारंभ में एवं बाद में कैसे मापा गया है। साथ ही, नियामक आस्थगन शेषों की वसूली योग्य क्षमता का कैसे निर्धारण किया जाता है तथा कैसे किसी क्षतिग्रस्तता हानि का निर्धारण किया जाता है।
33. प्रत्येक प्रकार की दर-विनियमित गतिविधि के लिए, प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेष की प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा:
- (क) एक सारणी में अवधि के प्रारंभ एवं अंत में अग्रणीत राशि के बीच का मिलान तबतक जबतक कि कोई दूसरा संरूप (फार्मेट) अधिक उपयुक्त नहीं होता है। प्रतिष्ठान आवश्यक ब्यौरे के स्तर का निर्णय करने में अपने विवेक का प्रयोग करेगा। (देखें अनुच्छेद 28-29), किंतु इसमें निम्नलिखित घटक आमतौर पर प्रासांगिक होंगे:
- (i) राशियां जिन्हें तुलन-पत्र में वर्तमान अवधि में नियामक आस्थगन लेखा शेषों के रूप में मान्यता दी गई है;
- (ii) वे राशियां जिन्हें शेषों से संबंधित लाभ-हानि के विवरण में मान्यता दी गई है व जो उन शेषों से संबंधित हैं जिन्हें वर्तमान अवधि में वसूल किया गया है (कभी-कभी परिशोधित के रूप में वर्णित) अथवा उलटा दिया गया है; तथा
- (iii) पृथक रूप से चिह्नित अन्य राशियां, जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों को प्रभावित करती हैं जैसे कि क्षतिग्रस्तता, व्यवसाय समूहन में अधिगृहीत या गृहीत मर्दे, निपटायी गयी मर्दे, अथवा विदेशी विनिमय दरों या बट्टा-दरों में परिवर्तनों का प्रभाव।
- (ख) रूपये के समय मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त प्रतिफल की दर या बट्टा दर (शून्य दर या दरों की विस्तार सीमा (रेंज) सहित, जब लागू हो) जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों की प्रत्येक श्रेणी पर लागू है; तथा

- (ग) शेष अवधियों में जिस पर प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा नामे शेष की प्रत्येक श्रेणी की अग्रणीत राशि की वसूली (अथवा परिशोधन) या नियामक आस्थगन लेखा जमा शेष के प्रत्येक श्रेणी के विपर्याय (उलटाव) की अपेक्षा करता है।
34. जब दर विनियमन प्रतिष्ठान के आयकर व्यय (आय) की राशि और समय को प्रभावित करता है, तब प्रतिष्ठान मान्यता प्राप्त चालू तथा आस्थगित कर की राशियों पर दर विनियमन के प्रभाव को प्रकट करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अलग से उस नियामक आस्थगन लेखा शेष को प्रकट करेगा जो उस शेष में कराधान और संबंधित परिवर्तन से संबंधित होता है।
35. जब एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 112, *अन्य प्रतिष्ठानों में हितों का प्रकटन* के अनुसार किसी ऐसे अनुषंगी प्रतिष्ठान, सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) या संयुक्त उद्यम के हित, को प्रकट करता है, जिसकी दर-विनियमित गतिविधियां हैं और जिसके लिए नियामक आस्थगन लेखा शेषों को इस मानक के अनुसार मान्यता दी गई है, तब प्रतिष्ठान उन राशियों को प्रकट करेगा जिन्हें नियामक आस्थगन लेखा नामे एवं जमा शेषों तथा उन शेषों में प्रकटित हितों के लिए शुद्ध परिवर्तनों में शामिल किया गया है (देखें अनुच्छेद ख 25-ख 28)।
36. जब प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकालता है कि नियामक आस्थगन लेखा शेष अब बिल्कुल वसूलीयोग्य या प्रत्यावर्तन (उलटाने) योग्य नहीं है, तब वह उस तथ्य को प्रकट करेगा कि वह किन कारणों से वसूली योग्य या प्रत्यावर्तन (उलटाने)योग्य नहीं है; तथा वह राशि जिससे नियामक आस्थगन लेखा शेष कम हो गई है।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है।

प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण वे प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण, जिनमें एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक के साथ अनुपालन के एक स्पष्ट एवं अनारक्षित कथन द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) को अपनाता है।

प्रथम-बार (पहली-बार) अंगीकर्ता वह प्रतिष्ठान जो अपने **प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण** को प्रस्तुत करता है।

पूर्ववर्ती जी ए ए पी (गैप) लेखा का आधार, जिसे प्रथम-बार अंगीकर्ता ने भारत में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों को अपनाने के तत्काल प्रयोग पहले किया था। उदाहरण के लिए, वे कंपनियां जो कंपनी (लेखा मानक) नियमावली 2006 के अधीन अधिसूचित मौजूदा लेखा मानकों के अनुसार अपनी वित्तीय विवरणों को तैयार करती हैं, उन वित्तीय विवरणों को वे पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) के अनुसार वित्तीय विवरणों के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए. आई.) द्वारा जारी दर-विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन संबंधी दिशा-निर्देश नोट को पूर्ववर्ती 'जीएएपी' (गैप) के अनुरूप माना जाएगा।

दर-विनियमित गतिविधियाँ प्रतिष्ठान की वे गतिविधियाँ जो **दर-विनियमन** के अधीन होती हैं।

दर विनियमन 'सेवा विनियमन लागत' जो कि दर-विनियमित गतिविधियों के लेखा-संबंधी दिशा-निर्देश नोट में परिभाषित है।

दर विनियामक 'विनियामक' जो कि दर विनियमित गतिविधियों के लेखा-संबंधी दिशा-निर्देश नोट में परिभाषित है।

नियामक आस्थगन लेखा शेष एक 'नियामक आस्ति' या 'नियामक दायित्व' जो कि दर विनियमित गतिविधियों के लेखा-संबंधी दिशा-निर्देश नोट में परिभाषित है।

परिशिष्ट ख

प्रयोग- संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है।

दर-विनियमित गतिविधियाँ

- ख 1 ऐतिहासिक रूप से, दर-विनियमन प्रतिष्ठान की सभी गतिविधियों पर लागू हैं। तथापि, अधिग्रहणों, विविधीकरण तथा अविनियमन के फलस्वरूप, दर-विनियमन अब प्रतिष्ठान की गतिविधियों के केवल एक भाग पर भी लागू हो सकते हैं जो, विनियमित एवं गैर-विनियमित, दोनों प्रकार की गतिविधियां होंगी। यह मानक केवल उन दर-विनियमित गतिविधियों पर लागू होता है जो प्रतिष्ठान या उद्योग की भले कोई भी प्रकार हो दर-विनियामक के कार्यों के माध्यम से सांविधिक या विनियामक प्रतिबंधों के अधीन होते हैं।
- ख 2 एक प्रतिष्ठान इस मानक को उन गतिविधियों पर लागू नहीं करेगा जो स्व-विनियमित हैं, अर्थात् वे गतिविधियां जो ऐसे मूल्य-निर्धारण ढांचे के अधीन नहीं आती हैं जिसे दर-विनियामक या तो नजरअंदाज करता है और/या फिर उसके द्वारा अनुमोदित है।

मौजूदा लेखा नीतियों को जारी रखना

- ख 3 इस मानक के प्रयोजन के लिए, एक नियामक आस्थगन लेखा शेष किसी व्यय (या आय) लेखा शेष के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे अन्य मानकों के अनुसार एक आस्ति या एक दायित्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है किंतु वह आस्थगन के योग्य होता है क्योंकि यह दर-विनियामक द्वारा उस दर (उन दरों) को निश्चित करने में, सम्मिलित होती है अथवा सम्मिलित की जा सकती है जिसे ग्राहकों से वसूला जा सकता है। व्यय आय की कुछ मदें विनियमित दर (दरों) के बाहर हो सकती हैं क्योंकि उदाहरण के लिए, या तो राशियों को दर-विनियामक द्वारा स्वीकार किये जाने की संभावना नहीं है या फिर वे दर-विनियमन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं। परिणामतया, ऐसी मद आय के रूप में या किये गए व्यय के रूप में तबतक मान्य है जबतक कि कोई दूसरा मानक इसे एक आस्ति या एक दायित्व की अग्रणीत राशि में सम्मिलित किये जाने के लिए अनुमति नहीं देता है या अपेक्षा नहीं करता है।
- ख 4 कुछ मामलों में, अन्य मानक प्रतिष्ठान को तुलन-पत्र, में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के लिए स्पष्ट रूप से निषेध करते हैं, जिन्हें या तो पृथक रूप से मान्यता दी जा

सकती हैं या अन्य रेखीय मदों, जैसाकि संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, के अंतर्गत पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) की लेखा नीतियों के अनुसार सम्मिलित की जा सकती हैं। तथापि, इस मानक के अनुच्छेद 11 के अनुसार, वह प्रतिष्ठान जो अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में इस मानक को लागू करने के लिए चयन करता है, नीतियों को नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा अमान्यता पर अपने पूर्ववर्ती जी ए ए पी का प्रयोग को जारी रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 में दी गई छूट का प्रयोग करता है। ऐसी लेखा नीतियों में, उदाहरणार्थ, निम्नलिखित प्रथाएं सम्मिलित हो सकती हैं:

- (क) नियामक आस्थगन लेखा नामे शेष को तब मान्यता देना जब प्रतिष्ठान को यह अधिकार होता है कि वह दर विनियामक की वास्तविक या प्रत्याशित कार्यवाही के फलस्वरूप अपनी स्वीकार्य लागतों (अर्थात् वे लागतें जिनके लिए विनियमित दर (दरें) वसूली उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेत हैं) की वसूली के लिए आगामी अवधियों में दरें बढ़ाए।
- (ख) एक नियामक लेखा नामे अथवा जमा शेष के रूप में एक ऐसी राशि को मान्यता देना, जो संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के निपटान या वापसी पर तथा अमूर्त आस्तियों दोनों मदों पर किसी हानि या लाभ के बराबर होती हैं और उसकी भावी दरों के माध्यम से वसूल किये जाने या प्रत्यावर्तित (उलटाने) होने की प्रत्याशा रहती है।
- (ग) नियामक आस्थगन लेखा जमा शेष को इस समय मान्यता देना जब दर-विनियामक की वास्तविक या प्रत्याशित कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा होती है कि वह स्वीकार्य लागतों से (अर्थात् दर विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट वसूली योग्य राशि की अतिरिक्त राशियां) की गई अधिक वसूलियों के प्रत्यावर्तन (उलटाने) करने के लिए भावी अवधियों में दरों में कमी करे।
- (घ) अबट्टागत आधार पर या दर विनियामक द्वारा विनिर्दिष्ट ब्याज या बट्टा दर का प्रयोग करते हुए बट्टागत आधार पर नियामक अस्थगन लेखा शेषों का माप।

ख 5 लागतों के प्रकारों के निम्नलिखित उदाहरण हैं जिनकी दर-विनियामक दर-निर्धारण (तय करने के) निर्णयों में अनुमति दे सकते हैं और इस कारण एक प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों में मान्यता दे सकता है:

- (i) मात्रा अथवा खरीद मूल्य में अन्तर ;

- (ii) 'हरित ऊर्जा' के स्वीकृत प्रयासों की लागत (वे राशियां जो भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, के अनुसार संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर की लागत के अंग के रूप में पूंजीकृत के अतिरिक्त राशियां हैं);
- (iii) दर-विनियमन के उद्देश्यों के लिए पूंजीगत लागतों के रूप में मानी जाने वाली अप्रत्यक्ष जुड़ी हुई लागतें (किंतु जिनकी भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद की लागत में शामिल किये जाने की अनुमति नहीं है);
- (iv) परियोजना रद्द करने की लागतें;
- (v) तूफान से क्षति होने की लागतें; तथा
- (vi) अभिप्रेत (माना गया) ब्याज (उन निधियों की अनुमत राशियों सहित जिनका प्रयोग विनिर्माण के दौरान किया गया है और जो प्रतिष्ठान को स्वामी की इक्विटी पूंजी के साथ-साथ उधार राशियों पर प्रतिफल के रूप में दिया जाता है) ।

ख 6 नियामक आस्थगन लेखा शेष आमतौर पर विनियामक प्रयोजनों के लिए आय या व्यय मदों की मान्यता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए उन मदों की मान्यता के बीच समय के अन्तरों का समान्तया प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक के प्रथम-बार अंगीकरण करता है या नये अथवा संशोधित मानक का प्रयोग प्रारंभ करता है और उस समय लेखा नीति में परिवर्तन करता है तब नया या संशोधित समय-अन्तर उत्पन्न होता है जो नये या संशोधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों का सृजन करता है। अनुच्छेद 13 में लगाए गए प्रतिबंध जो प्रतिष्ठान को नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देना शुरू करने के लिए अपनी लेखा नीति में परिवर्तन करने से रोकता है, उन नये या संशोधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने से नहीं रोकता है जो भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित लेखा नीतियों में अन्य परिवर्तनों के कारण सृजित हुए हैं। यह इसलिये है क्योंकि ऐसे समय-अन्तरों के लिए नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता अनुच्छेद 11 के अनुसार लागू की गई मौजूदा मान्यता नीति के अनुरूप होगी और नयी लेखा नीति के प्रस्तुतीकरण को निरूपित नहीं करेगी। इसी तरह, अनुच्छेद 13 समय-अन्तरों से प्रकट उत्पन्न होने वाले नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने से नहीं रोकता है, जो भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन होने की तारीख से तत्काल पहले विद्यमान नहीं था किंतु

अनुच्छेद 11 के अनुसार स्थापित प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के अनुरूप है (उदाहरण के लिए, तूफान से क्षति की लागतें)।

अन्य मानकों का प्रयोग

ख 7 प्रतिष्ठान जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्दर है, तथा जो इस मानक की अपेक्षाओं को लागू करने का चयन करता है, नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता तथा अमान्यता के लिए अपनी पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) लेखा नीतियों को लागू करना जारी रखेगा। तथापि, अनुच्छेद 16-17 में उल्लेख है कि कुछ परिस्थितियों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अन्य मानकों का प्रयोग किये जाने की भी आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित अनुच्छेद यह प्रस्तुत करता है कि इस मानक की अपेक्षाओं के साथ कुछ अन्य मानक कैसे प्रभावित (अंतक्रियाशील) होते हैं। विशेष रूप से, निम्नलिखित अनुच्छेद अन्य मानकों के लिए व उनसे विशिष्ट अपवादों को तथा उन अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटन अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है, जिनके लागू होने की संभावना है।

भारतीय लेखा मानक 10, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं का प्रयोग

ख 8 प्रतिष्ठान को अपने नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता एवं माप में प्राक्कलनों (अनुमानों) तथा पूर्व धारणाओं के प्रयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। उन घटनाओं के लिए जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त और उस तारीख के बीच घटती है जब वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तब प्रतिष्ठान यह पता लगाने के लिये भारतीय लेखा मानक 10 का प्रयोग करेगा कि क्या उन प्राक्कलनों (अनुमानों) तथा पूर्व धारणाओं को उन घटनाओं के प्रदर्शन के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

भारतीय लेखा मानक 12, आयकर का प्रयोग

ख 9 भारतीय लेखा मानक 12, प्रतिष्ठान से सभी अस्थायी अन्तरों के लिए आस्थगित कर दायित्व तथा (कुछ शर्तों के अधीन) आस्थगित कर आस्ति को कुछ खास सीमित अपवादों के साथ मान्यता देने की अपेक्षा करता है। एक दर विनियमित प्रतिष्ठान मान्यता दी जाने वाली आयकर राशि की पहचान के लिए, दर-विनियमित गतिविधियों सहित अपनी सभी गतिविधियों के लिए भारतीय लेखा मानक 12 का प्रयोग करेगा।

ख 10 कुछ दर-विनियामक योजनाओं में, दर-विनियामक प्रतिष्ठान को अपने भावी दरों को बढ़ाने के लिए अनुमति देता है अथवा अपेक्षा करता है जिससे कि प्रतिष्ठान के कुछ या समस्त

आयकर व्यय की पूर्ति की जा सके। ऐसी परिस्थितियों में, इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के, जो कि अनुच्छेद 11-12 के अनुसार स्थापित की गई हैं के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेष को आयकर संबंधी तुलन-पत्र में मान्यता दे । आयकर से संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेष, को मान्यता देना स्वतः ही एक अतिरिक्त अस्थायी अन्तर का सृजन कर सकता है जिसके लिए एक और आस्थगित कर को मान्यता दी जाएगी।

ख 11 भारतीय लेखा मानक 12 की प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन अपेक्षाओं के होते हुए भी जब एक प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति अथवा आस्थगित कर दायित्व को मान्यता देता है, तब प्रतिष्ठान उस आस्थगित कर राशि को कुल आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) शेषों के अंतर्गत शामिल नहीं करेगा। बल्कि प्रतिष्ठान उस आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) को प्रस्तुत करेगा जो निम्नलिखित दोनों में से किसी में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है:

- (क) उन रेखीय मदों के साथ जिन्हे विनियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के लिए प्रस्तुत किया जाता है; अथवा
- (ख) संबंधित नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों एवं जमा शेषों के निकट पृथक रेखीय मद के रूप में ।

ख 12 इसी तरह से, जब एक प्रतिष्ठान आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) में परिवर्तन को मान्यता देता है, जो नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है तब प्रतिष्ठान कर व्यय (आय) रेखीय मद में उस आस्थगित कर राशि के परिवर्तन को शामिल नहीं करेगा जिसे भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। अपितु, प्रतिष्ठान, आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्ति (दायित्व) में होने वाले परिवर्तन को निम्न में से किसी एक प्रकार से प्रदर्शित करेगा:

- (क) नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन के लिए लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत मदों के साथ ; या
- (ख) नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तनों के लिए लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत संबंधित रेखीय मदों के निकट पृथक रेखीय मद के रूप में ।

भारतीय लेखा मानक 33, प्रति शेयर अर्जन का प्रयोग

ख 13 भारतीय लेखा मानक 33 का अनुच्छेद 66 कुछ प्रतिष्ठानों से अपेक्षा करता है कि वह लाभ-हानि विवरण में जारी परिचालनो से लाभ या हानि तथा उस लाभ या हानि से जो मूल प्रतिष्ठान के साधारण इक्विटी धारकों से संबंधित है, दोनों के लिए प्रति शेयर मूल तथा अवमिश्रित अर्जनों को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 33 का अनुच्छेद 68 उन प्रतिष्ठान से जो बंद परिचालन को रिपोर्ट करता है, यह अपेक्षा करता है कि वह देने वाले बंद परिचालन के लिए प्रति शेयर मूल और अवमिश्रित राशियां या तो लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में या टिप्पणियों में प्रकट करे।

ख 14 भारतीय लेखा मानक 33 के अनुसार, प्रस्तुत प्रति शेयर के प्रत्येक अर्जन की राशि के लिए इस मानक को लागू करने वाला प्रतिष्ठान अतिरिक्त प्रति शेयर मूल एवं अवमिश्रित अर्जन राशियों को, जिनकी उसी तरीके से गणना की गयी है, प्रस्तुत करेगा लेकिन उन राशियों में नियामक आस्थगन लेखा शेष के निवल परिवर्तन शामिल नहीं होंगे। भारतीय लेखा मानक 33 के अनुच्छेद 73 की अपेक्षा के अनुरूप, प्रतिष्ठान इस मानक के अनुच्छेद 26 द्वारा अपेक्षित प्रति शेयर अर्जन को प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए भारतीय लेखा मानक 33 द्वारा अपेक्षित प्रति शेयर अर्जन के समान प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करेगा।

भारतीय लेखा मानक 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता का प्रयोग

ख 15 अनुच्छेद 11-12 में यह अपेक्षा की गयी है कि प्रतिष्ठान अपने मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेषों की पहचान, मान्यता, माप तथा किसी क्षतिग्रस्तता के उलटाव के लिए अपनी पूर्ववर्ती जी ए पी पी (गैप) लेखा नीतियों का प्रयोग करना जारी रखे। फलस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 36 मान्यता प्राप्त पृथक नियामक आस्थागन लेखा शेषों पर लागू नहीं होता है।

ख 16 तथापि, भारतीय लेखा मानक 36 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस नकदी जनक इकाई (सी जी यू) पर क्षतिग्रस्तता परीक्षण करे जिसमें नियामक आस्थगन लेखा शेष सम्मिलित है। यह परीक्षण इसलिए आवश्यक हो सकता है क्योंकि नकदी-जनक इकाई (सी जी यू) में ख्याति (गुडविल) अंतर्निहित है या इसलिए भी कि उस नकदी-जनक इकाई (सी जी यू) के संबंध में भारतीय लेखा मानक 36 में वर्णित एक या अधिक क्षतिग्रस्तता संकेतकों की पहचान की गयी हैं। ऐसी स्थितियों में, भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेदों 74-79 में नकदी-जनक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि तथा अग्रणीत

राशि की पहचान करने की अपेक्षाएं अंतर्निहित हैं। एक प्रतिष्ठान उन अपेक्षाओं का प्रयोग यह निर्णय लेने के लिए करेगा कि क्या मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेष को क्षतिग्रस्तता परीक्षण के उद्देश्य के लिए नकदी-जनक इकाई (सी जी यू) की अग्रणीत राशि में शामिल किया गया है। भारतीय लेखा मानक 36 की शेष अपेक्षाओं को उसके बाद किसी ऐसी क्षतिग्रस्तता हानि के लिए लागू किया जाएगा जिसे इस परीक्षण के परिणामस्वरूप मान्यता दी गई है।

भारतीय लेखा मानक 103, *व्यवसायिक संयोजन* का प्रयोग

ख 17 भारतीय लेखा मानक 103 का मुख्य सिद्धांत यह है कि एक व्यवसाय का अधिग्रहणकर्ता अधिग्रहीत आस्तियों एवं ग्रहण किये गये दायित्वों को उनके अधिग्रहण तिथि के उचित मूल्यों पर मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 103 इसकी मान्यता एवं माप देने के सिद्धांतों में सीमित अपवादों का प्रावधान करता है। इस मानक का अनुच्छेद 18 एक अतिरिक्त अपवाद का प्रावधान करता है।

ख 18 अनुच्छेद 11-12 यह अपेक्षा करते हैं कि प्रतिष्ठान नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए अपनी पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' (गैप) लेखा नीतियों का प्रयोग जारी रखे। फलस्वरूप, यदि प्रतिष्ठान एक व्यवसाय का अधिग्रहण करता है तो यह अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अधिग्रहण की तिथि पर अधिग्राही के नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता एवं माप के लिए अनुच्छेद 11-12 के अनुसार स्थापित अपनी लेखा नीतियों का प्रयोग करेगा। अधिग्रहणिति के नियामक आस्थगन लेखा शेषों को अधिग्रहणकर्ता के समेकित वित्तीय विवरणों में अधिग्रहणकर्ता की नीतियों के अनुसार इस बात का लिहाज किये बिना मान्यता दी जाएगी कि अधिग्रहणिति उन शेषों को अपनी स्वयं के वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है अथवा नहीं।

भारतीय लेखा मानक 105, *बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बंद परिचालन का प्रयोग*

ख 19 अनुच्छेद 11-12 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करते हैं कि वह नियामक लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए अपनी पूर्व लेखा नीतियों का प्रयोग जारी रखे। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक 105 की माप-संबंधी अपेक्षाएं मान्यता-प्राप्त नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर लागू नहीं होगी।

ख 20 भारतीय लेखा मानक 105 का अनुच्छेद 33 लाभ-हानि विवरण में बंद परिचालनों के लिए एकल राशि प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करता है। उस अनुच्छेद की अपेक्षाओं के बावजूद, जब एक प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करने का चयन करता है, और बंद परिचालन प्रस्तुत करता है तब यह उन को नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन को शामिल नहीं करेगा जो वह रेखीय (समरूप) मदों के अंतर्गत बंद परिचालन की दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न हुए हैं और जो भारतीय लेखा मानक 105 के अनुच्छेद 33 द्वारा अपेक्षित हैं। इसके बजाय, प्रतिष्ठान परिचालन उन नियामक आस्थगन लेखा शेषों में परिवर्तन को जो बंद परिचालनों की दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न हुए हो निम्नलिखित किसी एक प्रकार से प्रदर्शित करेगा:

- (i) रेखीय मद के अंतर्गत जिन्हें लाभ-हानि से संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रस्तुत किया जाता है ; या
- (ii) संबंधित रेखीय मद के निकट एक पृथक रेखीय मद के रूप में जिसे लाभ-हानि से संबंधित नियामक आस्थगन लेखा शेषों में संचलनों के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

ख 21 इसी तरह से, भारतीय लेखा मानक 105 के अनुच्छेद 38, की अपेक्षाओं के बावजूद जब एक प्रतिष्ठान एक निपटान समूह को प्रस्तुत करता है, तब प्रतिष्ठान उन नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के जोड़ को शामिल नहीं करेगा जो रेखीय मदों के अंतर्गत उस निपटान समूह के भाग हैं जो भारतीय लेखा मानक 105 के अनुच्छेद 38 के अनुसार हैं। इसके बजाय, प्रतिष्ठान उन नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के जोड़ को जो एक निपटान समूह का भाग हैं को निम्नलिखित किसी एक प्रकार से प्रदर्शित करेगा:

- (क) रेखीय मदों के अंतर्गत जिन्हें नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के लिए प्रस्तुत किया जाता है; या
- (ख) अन्य नियामक आस्थगन लेखा नामे शेषों तथा जमा शेषों के निकट पृथक रेखीय मदों के रूप में ।

ख 22 यदि प्रतिष्ठान उन शेषों में नियामक आस्थगन लेखा शेषों एवं परिवर्तनों का चयन करता है जो संबंधित नियामक आस्थगन लेखा रेखीय मदों के अंतर्गत निपटान समूह या बंद परिचालन से संबंधित है तो उसे इस मानक के अनुच्छेद 33 द्वारा वर्णित नियामक आस्थगन लेखा रेखीय मदों के विश्लेषण के भाग के रूप में उन्हें पृथक से प्रकट करने की आवश्यकता हो सकती है।

भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* तथा भारतीय लेखा मानक 28, *सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएट्स) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश*

ख 23 भारतीय लेखा मानक 110 का अनुच्छेद 19 यह अपेक्षा करता है कि “मूल प्रतिष्ठान समान लेन-देनों तथा एक-जैसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक-समान लेखा-नीतियों का प्रयोग करते हुए *समेकित वित्तीय विवरण* तैयार करेगा”। इस मानक का अनुच्छेद 8 यह अपेक्षा करता है कि एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और लागू करने के लिए इसका चयन करता है, वह प्रतिष्ठान की सभी दर-विनियमित गतिविधियों से उत्पन्न सभी नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर इस मानक की सभी अपेक्षाओं को लागू करेगा। परिणामस्वरूप, यदि मूल प्रतिष्ठान इस मानक के अनुसार अपने *समेकित विवरणों* में नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देता है तो यह अपनी सभी अनुषंगी प्रतिष्ठानों में उत्पन्न होने वाले नियामक आस्थगन लेखा शेषों पर वही लेखा नीतियां लागू करेगा। यह तब भी लागू होगा बेशक उसकी अनुषंगी प्रतिष्ठानों उन शेषों को अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है अथवा नहीं।

ख 24 इसी तरह , भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 35-36 यह अपेक्षा करते हैं कि, इक्विटी प्रणाली लागू करने में “प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण समान लेन-देनों तथा एक-जैसी परिस्थितियों की घटनाओं के लिए एक-समान लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए जाएंगे”। फलस्वरूप, इक्विटी प्रणाली लागू करने में नियामक आस्थगन लेखा शेषों की मान्यता, माप, क्षतिग्रस्तता एवं अमान्यता के लिए सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) की या संयुक्त उद्यम की लेखा नीतियों को निवेशक प्रतिष्ठान की उन नीतियों के अनुरूप करने के लिए समायोजन किए जाएंगे।

भारतीय लेखा मानक 112 *अन्य प्रतिष्ठानों में हितों* का प्रयोग

ख 25 भारतीय लेखा मानक 112 अनुच्छेद 12 (ड.) प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी प्रत्येक अनुषंगी अनुष्ठान, जिसके वे गैर-नियंत्रण हित हैं जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, उस लाभ या हानि को जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुषंगी अनुष्ठान के गैर-नियंत्रण हित को आवंटित किया गया था का प्रकटन करेगा । एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देता है वह नियामक आस्थगन लेखा शेषों में उस निवल परिवर्तन को प्रकट करेगा जो उन राशियों के अंतर्गत सम्मिलित है जिसे भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद 12 (ड.) द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित है।

ख 26 भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद 12 (छ) प्रतिष्ठान से अपनी प्रत्येक उस अनुषंगी प्रतिष्ठान के लिए जिसके गैर-नियंत्रक हित हैं, जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, अनुषंगी प्रतिष्ठान के बारे में संक्षिप्त वित्तीय सूचना भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद ख 10 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार है, प्रकटन करने की अपेक्षा करता है। इसी तरह से, भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद 21 (ख) (ii) प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह प्रत्येक संयुक्त उद्यम तथा सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट्स) के लिए जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के लिए महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त वित्तीय सूचना प्रकट करे। भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद ख 12-ख 13 में यथा विनिर्दिष्ट है। भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद ख 16 उस संक्षिप्त वित्तीय सूचना का विशेष रूप से उल्लेख करता है जिसकी प्रतिष्ठान से की सभी अन्य सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएटों) तथा संयुक्त उद्यमों के लिए प्रकट करने की अपेक्षा की गई है और जो भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद 21 (ग) के अनुसार व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है।

ख 27 भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेदों 12, 21, ख 10, ख 12-ख13, एवं ख 16 में विनिर्दिष्ट सूचना के अतिरिक्त, एक प्रतिष्ठान जो इस मानक के अनुसार नियामक आस्थगन लेखा शेषों को मान्यता देता है, कुल नियामक आस्थगन लेखा नामे शेष, कुल नियामक आस्थगन लेखा जमा शेष तथा उन शेषों के निवल परिवर्तनों, प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियों तथा अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशियों के बीच विभाजन को भी प्रकट करेगा, यह उस प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए प्रकट करना आवश्यक है जिसके लिए भारतीय लेखा मानक ऐसा करने की अपेक्षा करता है।

ख 28 भारतीय लेखा मानक 112 का अनुच्छेद 19 उस सूचना को विनिर्दिष्ट करता है जिसे प्रतिष्ठान द्वारा तब प्रकट करना अपेक्षित होता है जब प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। और वह भारतीय लेखा मानक 110 के अनुच्छेद 25 के अनुसार प्राप्ति या हानि को मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 112 के अनुच्छेद 19 द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त, जैसे ही प्रतिष्ठान जो इस मानक को लागू करने के लिए चयन करता है, उस लाभ या हानि के हिस्से को प्रकट करेगा जो पूर्ववर्ती अनुषंगी प्रतिष्ठान में नियामक आस्थगन लेखा शेषों की उस तिथि पर जब उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है अमान्य करने के कारण होता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी: यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का भाग नहीं है। इस परिशिष्ट का उद्देश्य केवल भारतीय लेखा मानक (इंड. ए. एस) 114 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस), 14 नियामक आस्थगन लेखे के बीच अन्तरों को, यदि कोई हों, स्पष्ट करना है।

आई एफ आर एस 14, *नियामक आस्थगन लेखे के साथ तुलना*

1. परिशिष्ट क, परिभाषित शब्दावली को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि दर-विनियमित गतिविधियों के लिए लेखा संबंधी दिशा-निर्देश नोट को भारतीय लेखा मानक, 114 के उद्देश्य के लिए पूर्ववर्ती जीएएपी के रूप में समझा जाएगा।
2. इंड ए एस 114 के अनुच्छेद 6 में एक फुटनोट जोड़ा गया है, जो कि पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के प्रबंधन व प्रस्तुतीकरण की अपेक्षाओं के उपयोग हेतु उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जो कि प्रतिष्ठान दर-विनियमन के दायरे में इंड ए एस लागू होने के बाद आते हैं या वे प्रतिष्ठान जिनकी गतिविधियां दर-विनियमन के दायरे में आती हैं, जो कि इंड ए एस में परिभाषित हैं, और अपने पहले इंड ए एस वित्तीय विवरणों के प्रबंधन व प्रस्तुतीकरण में उपयोग किए गए हैं।
3. इस मानक में प्रयुक्त भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है जैसेकि, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर 'तुलन-पत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है तथा 'लाभ-हानि तथा व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।